

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 642

- दिनांक 08/05/25

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
उम्मेदसिंह	बनाम	अखाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 278/2024

दिनांक : 08.05.2025

आदेश


तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 620/421, 658/454 रकबा क्रमशः 01.8535, 04.8805 हैक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो, प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2025/ 643 to 646


प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी उम्मेदसिंह
3. विप्रार्थीगण अखाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 08/05/25




(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन